नौएडा

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

51

सं0:

दिनाँक:

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण के साथ ही बल्क अपशिष्ट उत्पादकों (Bulk Waste Generators) को सूचित किया जाता है कि, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार गीले अपशिष्ट का निपटान सम्बंधित को अपने परिसर में ही करना है | इस हेतु नौएडा प्राधिकरण के उद्यान विभाग द्वारा गीले अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु एक पालिसी एवं गाइडलाइन जारी की गयी है जिसमें बल्क अपशिष्ट उत्पादकों को उनके परिसर में निपटान सुनिश्चित करना है | उक्त पालिसी की प्रतिलिपि प्राधिकरण की वेबसाईट www.noidaauthorityonline.com पर उपलब्ध है |

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुपालन हेतु समस्त बल्क अपशिष्ट उत्पादक परिसर में ही गीले अपशिष्ट का निपटान सुनिश्चित कराये जाने के क्रम में प्राधिकरण ने कुछ तकनीकी एजेन्सियों को सूचीबद्ध किया है जिनकी विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध है तथाउप निदेशक, उद्यान विभाग, सेक्टर 39, नौएडा के कार्यालय सेभी प्राप्त की जा सकती है |

सभी बल्क अपशिष्ट उत्पादकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने परिसर में गीले अपशिष्ट का निपटान 31 जुलाई 2020 या उससे पहले सुनिश्चित करायें | इस सार्वजनिक सूचना के अनुपालन न करने की स्थिति में सम्बंधित बल्क अपशिष्ट उत्पादक संस्थानों के विरुद्ध नौएडा प्राधिकरण की पालिसी एवं गाइडलाइन के अनुसार स्पॉट फाइन के साथ ही EPA1986 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी |

उपरोक्त के क्रम में समस्त बल्क अपशिष्ट उत्पादकों यथा होटल, हास्पिटल, स्कूल, मैरिजगार्डन, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, कॉलेज, हॉस्टल, आर.डब्ल्यू.ए., हाईराइज सोसाइटीज इत्यादि से अनुरोध है कि स्वच्छ भारत मिशन में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते हुए दण्डात्मक कार्यवही से मुक्ति पाने हेतु अपने परिसर में गीले अपशिष्ट का निपटान स्वयं की यूनिट परिसर में स्थापित कर या प्राधिकरण की सूचीबद्ध किसी भी तकनीकी एजेंसी से जुड़ कर सुनिश्चित करें एवं नौएडा को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग दें |

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नौएडा